चेक लिस्ट क्रमांक-01

आवेदक विभाग का मांग पत्र

----*----

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा कटघोरा वनमण्डल के अन्तर्गत आरक्षित वनखण्ड- निरंक, संरक्षित वनखण्ड- रकसी कटरा कक्ष क्रमांक- P533 में रकबा 4.34 हे० दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा का निर्माण हेतु आवश्यकता है। अतः वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित ग्राम स्याहीमुड़ी (कोरबा नगरीय क्षेत्र) में कक्ष क्रमांक P533 भूमि कुल रकबा 4.34 हे० दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय निर्माण हेतु मांग की गई है।

सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-02

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत नवीन प्रस्तावों के अधिस्वीकृति हेतु प्रमाण पत्र

----*----

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा कटघोरा वनमण्डल के अन्तर्गत आरक्षित वनखण्ड- निरंक, संरक्षित राजस्व वन -निरंक, संरक्षित वन कक्ष क्रमांक-P533 में से रकबा 4.34 हे० दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा के निर्माण हेतु आवश्यकता है। इस प्रकार वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत गैर वानिकी कार्य के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित ग्राम स्याहीमुड़ी (कोरबा नगरीय क्षेत्र)में कुल संरक्षित वन भूमि कुल रकबा 4.34 हे० दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय कोरबा निर्माण हेतु मांग की गई है।

वनभूमि का प्रत्यावर्तन प्रस्ताव दिनांक 11:04:2018 को प्राप्त हुआ एवं इस प्रस्ताव का रजिस्ट्रेशन क्रमांक-FP/CG/SCH/33063/2018 दिनांक 12:04:2018 है। आवेदक से पंजीयन शुल्क की राशि रूपये 6000:00 बैंक ड्राफ्ट क्रमांक-666287- दिनांक 03:02:2018 एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि रूपये 18000:00 बैंक ड्राफ्ट क्रमांक-666286-दिनांक 03:02:2018 कुल राशि 24000:00 वसूल की जाकर उसे कोषालय में चालान नम्बर ----------- दिनांक ----------------एवं ----------- दिनांक --------- द्वारा वन मण्डलाधिकारी कटघोरा के पी.डी. खाता क्रमांक-8443-------106 व्यक्तिगत जमा खाता में जमा किया जा चुका है।
Civil Deposit

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-03

वनक्षेत्र का विवरण

प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का विवरण निम्नानुसार है :-

----*----

वन भूमि

क्रमांक	वनमण्डल का नाम	विकास खण्ड का नाम	ग्राम का नाम	कक्ष क्रमांक/ खसरा क्र०	राजस्व वनभूमि हे० में
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
01	कटघोरा	कटघोरा	स्याहीमुड़ी	P-533	4.34 हे०
				योग :-	**4.34 हे०**

वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित कुल संरक्षित वन भूमि का रकबा- 4.34 हेक्टेयर है।

01- वन का साईट क्वालिटी - IV B

02- घनत्व - 0.2

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-04

गैर वनक्षेत्र का विवरण

----*----

सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास जिला-कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा कटघोरा वनमण्डल अन्तर्गत दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा के निर्माण कार्य में कोई भी गैर वनभूमि सम्मिलित नहीं है अतः गैर वनक्षेत्र का विवरण निरंक है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-05

प्रत्यावर्तित हेतु प्रस्तावित वन क्षेत्र का सर्वे ऑफ इण्डिया की मूल टोपो शीट 1:50000

संलग्न है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-06

वनक्षेत्र का इण्डेक्स मैप

संलग्न है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-07

प्रपत्र- IV में प्रस्ताव

संलग्न है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-08

प्रोजेक्टर पर विस्तृत टीप

----*----

कोरबा अनुसूचित जिला है तथा अनुसूचित जनजातियों एवं पिशेष पिछड़ी जनजाति के बाहुल्य होने पर भी इस वर्ग के छात्राओं हेतु बौद्धिक विकास, कौशल उन्नयन व्यवसायिक प्रशिक्षण, दिव्यांग छात्र/छात्राओं की बौद्धिक विकास आदि हेतु जिले में कोई विशेष विद्यालय संचालित नहीं होने के कारण इन वर्गो के छात्र /छात्राओं को शहरी क्षेत्र में संचालित विशेष शैक्षणिक संस्थाओं के अनुरूप आधुनिक शिक्षा व्यवस्था व्यवसायिक प्रशिक्षण व्यवस्था, दिव्यांग छात्र-छात्राओं की शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु कोरबा नगरी क्षेत्र में स्थित ग्राम स्याहीमुड़ी, विकास खण्ड कटघोरा जिला-कोरबा (छ०ग०) में दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा की स्थापना की जा रही है। विद्यालय में लगभग 70 स्टॉफ की आवश्यकता होगी शहरी क्षेत्र के पास होने में शिक्षकों की उपलब्धता होगी। संस्था में A.I.E.E. एवं क्लेट मेडिकल हेतु कोचिंग की सुविधा होगी दूरस्थ क्षेत्र के कारण उत्कृष्ठ कोचिंग संस्थायें उपलब्ध न होने के कारण इस वर्ग की छात्राऐं पीछे रह जाती है। जिले में दो विशेष पिछड़े जनजाति पहाड़ी कोरबा एवं बिरहोर निवासरत है, जिनकी साक्षरता 30 % से भी कम है एवं अधिकांश 5वीं उत्तीर्ण हुये है, उच्च शिक्षा हेतु व्यवस्था होने से इस वर्ग की छात्राएं उच्चशिक्षा में नियमित हो सकेगी। स्याहीमुड़ी से 3-5 कि०मी० दूर पर महाविद्यालय I.T.F.एवं पालिटेक्निक संचांलित है जहाँ इन छात्राओं का प्रवेश में आसानी हो सकेगा । जिसमें निम्नानुसार संस्थाऐं संचालित एवं सुविधा व्यवस्थित किया जावेगा।

क्रमांक	संस्था/ सुविधा	उपयोगिता
1	2	3
1	दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा	दिव्यांग एवं अनुसूचित जनजाति बालिकाओं की अध्ययन हेतु।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-09

वैकल्पिक वृक्षारोपण राशि जमा करने का वचन पत्र।

----*----

दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 4.34 हे० संरक्षित वनभूमि के बदले प्रस्तावित क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु निर्देशानुसार निर्धारित राशि जमा करने हेतु वचनबद्ध है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-10

न्यूनतम वन क्षेत्र उपयोगिता प्रमाण पत्र

----*----

दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण के लिए व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित 4.34 हे० संरक्षित वनभूमि न्यूनतम है । परियोजना के अन्य विकल्पों का अध्ययन किया गया, चयनित न्यूनतम वनभूमि के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प नहीं है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

एजुकेशन हब निर्माण हेतु चयनीत क्षेत्र के विकल्पो का तुलनात्मक विवरण

प्रथम विकल्प

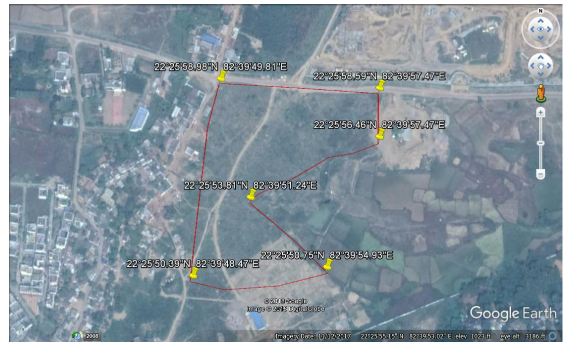

द्वितीय विकल्प

तृतीय विकल्प

चयनीत विकल्पित क्षेत्रो का विवरण

विकल्प	स्थल नाम/कक्ष क्रमांक	रकबा	घनत्व	रिमार्क
विकल्प प्रथम	स्याहीमुड़ी पी 533	4.34 हे.	0.1	पूर्णतः रिक्त क्षेत्र
विकल्प द्वितीय	स्याहीमुड़ी पी 533	9.60 हे.	0.3	लगभग 200 वृक्ष उपलब्ध
विकल्प तृतीय	जमनीपाली पी 533	12.00 हे.	0.4	अत्यधिक वृक्ष उपलब्ध

उक्त विकल्पो के अवलोकन से ज्ञात होता है कि विकल्प प्रथम में सबसे कम 4.34 हे. वनविहीन क्षेत्र 0.1 घनत्व का उपलब्ध है एवं यह कोरबा शहर से नजदीक में है जो इस परियोजना की प्राथमिकता है । इसी प्रकार विकल्प द्वितीय एवं तृतीय में क्षेत्रफल तथा वन की घनत्वता क्रमशः 9.60 हे. में घनत्व 0.3 एवं 12.00 हे. में घनत्व 0.4 है तथा कुछ वृक्ष भी उपलब्ध है जिनके विदोहन की आवश्यकता होगी । **इसे ध्यान में रखते हुए प्राप्त 03 विकल्पो में विकल्प प्रथम को उपयुक्त पा कर एजुकेशन हब निर्माण हेतु चयनीत किया गया है ।**

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक संस्था सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा द्वारा मांग की गई 4.34 हे. वनभूमि ग्राम स्याहीमुड़ी कक्ष क्रमांक- P-533 (कोरबा नगरीय क्षेत्र) का मौका निरीक्षण किया गया प्रस्ताव में मांग की गई वनभूमि न्यूनतम है । संलग्न जानकारी / विवरण के आधार पर इस वनभूमि को गैरवानिकी प्रयोजन हेतु अनुशंसा की जाती है ।

स्थल निरीक्षण :- ग्राम स्याहीमुड़ी

दिनांक :-

वन परिक्षेत्र अधिकारी कटघोरा	उप वन मण्डलाधिकारी पाली	वन मण्डलाधिकारी कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

चेक लिस्ट क्रमांक-11

पर्यावरण संरक्षक स्वीकृति प्रमाण पत्र

----*----

दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण में पर्यावरण को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होगी। अतएव पर्यावरण संरक्षक स्वीकृति प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। भारत सरकार का राजपत्र भाग - II खण्ड- 03 उपखण्ड- 02 संख्या- 1067 नई दिल्ली वृहसपतिवार, सितम्बर 14, 2006/ भाद्र- 23, 1928

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-12

वृक्ष विदोहन विवरण

----*----

दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण के लिए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा छ०ग० को कटघोरा वनमंडल अन्तर्गत व्यपवर्तन हेतु प्रस्तावित संरक्षित वनभूमि रकबा 4.34 हे. में स्थित वृक्षों का विदोहन विवरण योजना संलग्न है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कटघोरा

उप वन मण्डलाधिकारी
पाली

चेक लिस्ट क्रमांक-13

कास्ट/ बेनिफिट एनालिसिस

----*----

भारत सरकार वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के निर्देशानुसार 20 हे० तक व्यपवर्तन हेतु आवेदित क्षेत्र के लिये कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है। अतः इस परियोजना हेतु कास्ट बेनिफिट एनालिसिस की आवश्यकता नहीं है।

आदेश की प्रति संलग्न है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-14

चयनित गैर वन क्षेत्र / निजी भूमि (पंचशाला खसरा की नकल, मानचित्र, सक्षम अधिकारी का हस्तांतरण आदेश)

----*----

दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण के लिए व्यपवर्तन प्रस्ताव में गैर वनभूमि / नीजि भूमि सम्मलित नहीं है। अतः जानकारी निरंक है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-15

गैर वन क्षेत्र के आसपास क्षेत्र का नक्शा ।

----*----

आवश्यकता नहीं है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-16

स्थल विशेष वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना (शासन द्वारा अनुमोदित दरों पर 25 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि के साथ 10 वर्षीय मय उपचार मानचित्र, अक्षांश, देशांत, प्रजाति विवरण सहित)

----*----

संलग्न है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-17

वृक्षारोपण क्षेत्र उपयुक्तता प्रमाण पत्र ।

----*----

CA योजना में संलग्न है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-18

अधिनियम उल्लघंन अन्तर्गत कार्यो का विवरण

----*----

कटघोरा वनमंडल अन्तर्गत इस परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

चेक लिस्ट क्रमांक-19

अधिनियम उल्लंघन के लिए जिम्मेदार अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विवरण

----*----

कटघोरा वनमंडल अन्तर्गत इस परियोजना हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में वन संरक्षण अधिनियम 1980 का उल्लंघन नहीं किया गया है। अतः जानकारी निरंक है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

चेक लिस्ट क्रमांक-20

अधिकारियों एवं कर्मचारियों विरूद्ध प्रस्तावित कार्यवाही

----*----

इस परियोजना के अन्तर्गत किसी भी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कोई भी कार्यवाही प्रस्तावित नहीं है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

चेक लिस्ट क्रमांक-21

वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु गैर वनभूमि अनुपलब्धता हेतु मुख्य सचिव का प्रमाण पत्र।

----*----

कलेक्टर कोरबा का प्रमाण पत्र संलग्न है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-21

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी

कोरबा, छत्तीसगढ़

क्रमांक/ आदि०वि०/2017-18 6750 कोरबा दिनांक 09:02:2018

//प्रमाण पत्र//

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा, छत्तीसगढ़ द्वारा दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण परियोजना के अन्तर्गत आने वाली संरक्षित वन भूमि 4.34 हे० क्षेत्र में संरक्षित वनभूमि प्रत्यवर्तन प्रस्ताव हेतु वैकल्पिक वृक्षारोपण, गैर वनभूमि अनुपलब्ध है।

कलेक्टर
कोरबा (छ०ग०)

चेक लिस्ट क्रमांक-22

कैचमेंट ट्रीटमेंट प्लान ।

----*----

आवश्यकता नहीं है ।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-23

रिक्लमेशन प्लान

----*----

आवश्यकता नहीं है।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-24

माईनिंग प्लान IBM नागपुर द्वारा अनुमोदित (केवल खनन प्रकरण में)

----*----

चूंकि यह खनन प्रकरण नहीं है, अतः इस प्रकरण में माईनिंग प्लान की आवश्यकता नहीं है।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-25

व्यवस्थापन प्लान

----*----

कोई भी राजस्व भूमि प्रस्तावित व्यपवर्तन प्रस्ताव में प्रभावित नहीं हो रहा है। अतः व्यस्थापन प्लान की आवश्यकता नहीं है।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-26

वन अधिकारियों का निरीक्षण प्रतिवेदन मय स्पष्ट अनुशंसा, नाम, पदनाम, सील एवं दिनांक सहित (प्रपत्र I से IV)

----*----

संलग्न है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-27

ऐतिहासिक स्थल का प्रमाण पत्र

----*----

प्रस्तावित भूमि पर ऐतिहासिक महत्व का स्थल नहीं है।

वन परिक्षेत्र अधिकारी
वन परिक्षेत्र कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

चेक लिस्ट क्रमांक-28

संबधित ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र

----*----

प्रस्तावित क्षेत्र नगरीय निकाय क्षेत्र में होने के कारण मोहल्ला सभा का कार्यवाही विवरण संलग्न है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

जिले की कुल वनभूमि का क्षेत्रफल

----*----

छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा जिले के अन्तर्गत कुल 4187.376 हे० वर्ग कि०मी० वन भूमि है।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

प्रपत्र – 6

वन संरक्षण अधिनियम 1980 प्रेषित किये जाने वाले प्रस्ताव पर वन मण्डलाधिकारी द्वारा भरी जाने वाली जानकारियाँ

(1)	छत्तीसगढ़ राज्य के अंतर्गत संबंधित कटघोरा वमंडल की कुल वास्तविक वनभूमि रकबा		2050.901 वर्ग कि.मी.
(2)	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित वनमंडल के स्वीकृत प्रकरणों में अब तक कितनी संरक्षित वनभूमि प्रभावित हुई है, उसका वास्तविक रकबा		883.726 हे.
(3)	वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित वनमंडल के भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्राप्त प्रकरणों में कुल कितनी वनभूमि प्रत्यावर्तित हुई है, जिसका प्रयोजनावार कुल रकबा	(30)	3391.699 हे.
(4)	लघु खनिज परियोजना कुल रकबा		0.000 हे.
	वृहत खनिज परियोजना कुल रकबा	(13)	2189.995 हे.
	सिंचाई परियोजना कुल रकबा	(01)	31.910 हे.
	विद्युत पावर परियोजना कुल रकबा	(10)	1152.484 हे.
	विविध परियोजना कुल रकबा	(05)	12.420 हे.
	लघु जल विद्युत परियोजना	(01)	4.890 हे.
	माईक्रो हायडल संयंत्र		0.000 हे.
		योग :	**3391.699 हे.**
(5)	छत्तीसगढ़ राज्य के संबंधित कटघोरा वनमंडल में वैकल्पिक वृक्षारोपण की प्रगति रकबा		1434.248 हे.
(6)	छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित कटघोरा वनमंडल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम स्वीकृति प्रकरण का जो कुल वनभूमि प्रभावित है रकबा		3391.699 हे.

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल कटघोरा

चेक लिस्ट क्रमांक-30

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत जिले के स्वीकृत प्रकरणों में प्रभावित हुई वनभूमि रकबा हे. में

----*----

प्रमाणित किया जाता है कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत कोरबा जिले में 30 प्रकरणों में 3391.699 हेक्टयर वनभूमि प्रभावित हुई है।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-31

वन संरक्षण अधिनियम 1980 अन्तर्गत स्वीकृत प्रकरणों में इसी श्रेणी की कुल प्रत्यावनर्तन वनभूमि रकबा हे. में

----*----

कोरबा जिले के अन्तर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत् इस श्रेणी के कुल प्रत्यावर्तन वनभूमि निरंक है ।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-32

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी करीडोर स्थित है अथवा प्रस्तावित है या अन्य ऐतिहासिक महत्व का चिन्ह / मूर्ति न होने की जानकारी

(छ०ग० शासन वन विभाग का पत्र क्रमांक /एफ-5-20/2017/10-2 दि० 12-01-10)

----*----

प्रस्तावित क्षेत्र के 10 कि.मी. की परिधि में राष्ट्रीय उद्यान, वन्यप्राणी अभ्यारण या हाथी करीडोर स्थित नहीं है।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-33

प्रस्तावित क्षेत्र के 15 कि.मी. की परिधि के नक्शे में खनन हेतु प्रस्तावित स्थलों का चिन्हांकन (केवल खनन प्रकरणों में)

----*----

आवश्यकता नहीं है ।

वन मण्डलाधिकारी
कटघोरा वनमण्डल, कटघोरा

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-34

Annexure - II

FORM II

(For projects other than linear projects)

Government of Chhattisgarh

Office of the District

Collector Korba(CG)

No. 6751

Date 09-02-2018

To WHOMSOEVER IT MAYCONCERN

In compliance of Governing body of District Mineral Development Fund decision for stablise Education Hub Syahimudi, Block Katghora on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act. 2006 (FRA, for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes, it is certified that of **Protected Forest Land P 533 area 4.34** hectare of forest land proposed to be diverted in favor of **Assistant Commissioner, Tribal Welfare Department Korba** for **Construction of Divyang and Balika Vidyalay at Syahimudi, Korba** within jurisdiction of **Block Katghora, Korba**.

It is further certified that :

(a) The Complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out from entire area **4.34 hectare of P 533** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meeting of the Forests Rights Committee(s) Mohalla Sabha(s), Sub Division Level Committee(s) District Level Committee are enclosed as **annexure 1 to annexure 8;**

(b) The proposal for such diversion (with full details of projects and its implications in vernacular/ local language) have been placed before each concerned **Mohalla Sabha, Syahimudi, Korba** of forest dwellers, who are eligible under the FRA.

(c) The each of concerned **Mohalla Sabha, Syahimudi** has certified that all formalities processes under the FRA have been carried out, and that they given their consent to the proposed diversion and the compensation and ameliorative measures, if any, having understood the purpose and details of proposed diversion. A copy of certificate issued by the **Mohalla Sabha, Syahimudi,Korba** is enclosed as **annexure 3 to annexure 6;**

(d) The discussion and decisions on such proposals had taken place only when there was a quorum of minimum 50% of the members of **Mohalla Sabha Syahimudi, Korba** present;

(e) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the **Mohalla Sabha, Syahimudi, Korba** have given their consent to it;

(f) The rights of Primitive Tribal Groups and Pre-Agricultural Communities, where applicable have been specifically safeguarded as per section 3 (1)(e)of the FRA.

Encls: Annexure 1 to 8.

(Mo. QAISER ABDUL HAQUE)
Collector
Korba (Chhattisgarh)

चेक लिस्ट क्रमांक-35

वन भूमि हेतु कलेक्टर का प्रमाण पत्र

----*----

वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोजन हेतु सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा छ०ग० के **दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा** निर्माण हेतु ग्राम स्याहीमुड़ी में कक्ष क्र.- P533 पर कुल रकबा 4.34 हे० वनभूमि पर गैर वानिकी प्रयोजन हेतु अनुमति यदि सक्षम विभाग द्वारा दी जाती है। इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं होगी।

कलेक्टर
कोरबा छत्तीसगढ़

चेक लिस्ट क्रमांक-36

माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार प्रत्याशा मूल्य जमा करने का वचन पत्र

----*----

प्रमाणित किया जाता है कि सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास कोरबा छ.ग. की **दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा** निर्माण के अन्तर्गत आने वाले वनभूमि 4.34 हे. क्षेत्र प्रत्यावर्तन प्रस्ताव हेतु संरक्षित वन क्षेत्र के बदले माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार निर्धारित प्रत्याशा मूल्य जमा करने हेतु वचन बद्ध है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-37

Clearance under FC Act, 1980: Deposition of fumds with the Ad- hoc CAMPA Remittances to precede 1 st Stage Clearance

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/

771/2004 (CAMPA) Meeting 3068 दिनांक 12-05-2011)

----*----

प्रथम चरण स्वीकृति उपरांत मांग अनुसार राशि कैम्पा फंड में जमा की जावेगी।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-38

" A detailed note on Soil Productivty or the lack of it "

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/ 6-/ MPCO13/ 2008/ BHO/357 दिनांक 24-02-2010)

----*----

प्रस्तावित परियोजना **Soil Productivty** से संबंधित नहीं है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-39

परियोजना की किसी भी प्रकार की भूमि में कार्य प्रारंभ न करने का प्रमाण पत्र

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.NO. 2-12003 FC दिनांक 06-01-2011)

----*----

प्रस्तावित परियोजना **Soil Productivty** से संबंधित नहीं है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-40

Diversion of large area (more than 500 ha.) of forest land for mining and other non-forestry purposes under the Forest (Conservation) Act 1980- Stipulation of additional condition (The user agency shall establish ane oprate a Vacational Training Institute)

(भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली का पत्र क्रमांक/ F.No. 11-9/1998-FC दिनांक 04-01-2011)

----*----

500 हेक्टेयर से कम होने के कारण इस प्रपत्र की आवश्यकता नहीं है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-41

पंजीयन क्रमांक- पंजीयन शुल्क एवं प्रोसेसिंग शुल्क का विवरण

(छत्तीसगढ़, वन विभाग का पत्र क्रमांक/ F-7-22-2009/ 10-2 दिनांक 31-07-2009)

----*----

संलग्न है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-42

वन्य प्राणी परियोजना पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यप्राणी) का अभिमत

(विशेषकर खनन प्रकरणों में)

----*----

आवश्यकता नहीं है ।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-43

विद्युत लाईन से संबंधित प्रकरणों मे एक स्थल से दूसरे स्थल तक टावर ले जाने का मानचित्र तथा तीन विकल्प में न्यूनतम प्रभावी वन क्षेत्र का विवरण

(भारत सरकार, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल पत्र क्रमांक/ 6-CHC 022/2010-BHO/ 934)

----*----

आवश्यकता नहीं है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-44

प्रस्ताव में अन्य (MISC) कमियों का विवरण

----*----

संलग्न है।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त,
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-45

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा, जिला–कोरबा (छ0ग0)

क्रमांक/दिव्यांग एवं बालिका विद्या./2017-18/9290 कोरबा, दिनांक 31.03.2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा, जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषयः- दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा निर्माण हेतु प्रस्तावित राजस्व वनभूमि व्यपवर्तन के संबंध में छब्ब्प्रमाण पत्र प्रस्तुत बाबत्।

--oo--

विषयान्तर्गत दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी (कोरबा नगरीय क्षेत्र) विकास खण्ड कटघोरा जिला-कोरबा छत्तीसगढ़ में निम्नांकित प्रयोजन हेतु वन संरक्षण अधिनियम -1980 के अन्तर्गत वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु प्रक्रियाधीन है। निम्नांकित प्रमाण पत्र पंजीयन की आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

01- कलेक्टर कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा जारी **To WHOMSOEVER IT MAYCONCERN (NO. 6751 Date 09-02-2018)**

02- जिला स्तरीय वन अधिकार समिति कोरबा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक **26- 03-2018**।

03- उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति कटघोरा द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक **09-03-2018**।

04- वार्ड वन अधिकार समिति वार्ड क्रमांक -45 स्याहीमुड़ी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र दिनांक **07-03-2018**।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा

चेक लिस्ट क्रमांक-46

कार्यालय कलेक्टर (आदिवासी विकास) कोरबा, जिला-कोरबा (छ०ग०)

क्रमांक/दिव्यांग एवं बालिका विद्या./2017-18/9291 कोरबा,दिनांक 31.03.2018

प्रति,

वनमण्डलाधिकारी
कटघोरा,जिला-कोरबा (छ.ग.)

विषयः- **दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा** के पंजीयन बाबत्।
संदर्भः- अपर प्रधान मुख्य वन सरंक्षण (भू-प्रबंध) रायपुर (छ.ग.) का पत्र क्रमांक EDS दिनांक 17-07-2017।

--oo--

संदर्भित पत्र के माध्यम से आपके द्वारा **दिव्यांग एवं बालिका विद्यालय स्याहीमुड़ी कोरबा** के पंजीयन बाबत् चाही गयी आवेदन की हार्ड कापी एवं पंजीयन हेतु पंजीयन शुल्क की राशि ड्राफ्ट क्रमांक **666287** दिनांक **03-02-2018** राशि **6000.00** रूपयें (छः हजार रूपये)एवं प्रोसेसिंग शुल्क की राशि ड्राफ्ट क्रमांक **666286** दिनांक **03-02-2018** राशि **18000.00** रूपये (अठारह हजार रूपये) की ड्राफ्ट की प्रतियां भी संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर सम्प्रेषित हैं।

सहपत्रः उपरोक्तानुसार ड्राफ्ट की प्रतियां एवं प्रस्ताव की प्रति।

(श्रीकांत दुबे)
सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा

पृ. क्रमांक/दिव्यांग एवं बालिका विद्या./2017-18/ 9292 कोरबा,दिनांक 31.03.2018

प्रतिलिपिः-

01. मुख्य वन संरक्षण बिलासपुर वृत्त बिलासपुर की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
02. कलेक्टर एवं जिलादण्डाधिकारी कोरबा, जिला-कोरबा (छ.ग.) की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।

सहायक आयुक्त
आदिवासी विकास कोरबा